



वशिेष: आधार कार्ड की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे

संदर्भ

एक बार फरि आधार डेटा की सुरक्षा का मुद्दा तब सवाल के घेरे में आ गया, जब कुछ दिन पूर्व अंगरेजी अखबार 'द ट्रिब्यून' ने एक ऐसे रैकेट का खुलासा कया जो वॉट्सएप पर भारत में अब तक बनाए गए लगभग 1 अरब आधार कार्ड की जानकारी को नरिबाध रूप से उपलब्ध करने का दावा करता है।

पृष्ठभूमि

आधार से जुड़े डेटा की सुरक्षा को लेकर हुआ यह कोई पहला खुलासा नहीं है। इससे पहले कई बार इस मुद्दे पर चर्चा जताई जा चुकी है और संसद में भी इस पर बहस हुई है। सर्वोच्च न्यायालय में इसी मुद्दे को लेकर अनेक याचिकाएँ वचिराधीन हैं, जनि पर 17 जनवरी से संवधान पीठ सुनवाई करने जा रही है।

मुद्दा क्या है?

अखबार ने दावा कया है कि पिटीएम के ज़रिए 500 रुपए का पेमेंट करने के 10 मनिट के अंदर इस रैकेट के एजेंट ने द ट्रिब्यून के संवाददाता के लिये एक 'गेटवे' बना दिया. फरि उसने लॉगइन आईडी और पासवर्ड दिया, जिसके ज़रिये आधार का पोर्टल देखा जा सकता है। यद वास्तव में ऐसा है तो जसि कसिी ने आधार कार्ड बनवाते समय जो भी जानकारी उपलब्ध कराई थी, उसे देखा जा सकता है; जैसे-नाम, पता, पनि कोड, फोटो, फोन नंबर और ईमेल आईडी। अखबार ने दावा कया कि 500 रुपए के अलावा 300 रुपए और देने के बाद एक सॉफ्टवेयर भी दिया गया, जिसके माध्यम से आधार नंबर देकर आधार कार्ड प्रटि कया जा सकता है।

बी.एन. श्रीकृष्ण समति की अंतरमि रपिर्ट

आधार कार्ड की अनविर्यता और इसके बढ़ते प्रचालन के मद्देनज़र इससे जुड़े वयक्तगित डेटा की सुरक्षा को लेकर सुझाव देने के लिये केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक समति गठति की है, जसि डेटा सुरक्षा वधियक का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया है। इस समति में सरकार, अकादमकि जगत और उद्योग जगत के लोग भी शामिल हैं। इस समति को डेटा सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों की पहचान कर उनके समाधान के तरीके सुझाने का काम भी सौंपा गया है। हाल ही में इस समति ने अपनी अंतरमि रपिर्ट सरकार को सौंपी है।

(टीम दृष्टि इनपुट)

आधार है क्या?

- केंद्र सरकार की ओर से भारतीय वशिषिट पहचान प्राधकिरण (Unique Identification Authority of India-UIDAI) द्वारा दिये जाने वाले आधार कार्ड की शुरुआत प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक वशिष पहचान संख्या देने के लिये की गई थी।
- आज जसि स्वरूप में हम इसे देखते हैं उसमें सरकार द्वारा प्रदान कये जाने वाले अधिकांश लाभों का समान वतिरण सुनिश्चति करने के लिये आधार संख्या का होना अनविर्य कर दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय में आधार

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में 'आधार' की अनविर्यता को लेकर अंतरमि आदेश पारति कया था। ये याचिकाएँ आधार को नजिता के मौलिक अधकिार का उल्लंघन बताते हुए दायर की गई हैं। इस अंतरमि आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने वभिनिन सरकारी योजनाओं, मोबाइल नंबर और बैंक खातों को आधार से जोड़ने की समय-सीमा को 31 दसिंबर, 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया था। यह अंतरमि आदेश आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अंतमि परणाम पर आधारति होगा

(टीम दृष्टि इनपुट)

- इस योजना के तहत भारत सरकार की ओर से एक ऐसा पहचान-पत्र जारी किया जाता है जिसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है।
- चूंकि इसमें बायोमेट्रिक पहचान शामिल होती है, इसलिये अब किसी व्यक्ति के बारे में अधिकांश जानकारी 12 अंकों की इस संख्या के ज़रिये प्राप्त की जा सकती है।
- इसमें उसका नाम, पता, आयु, जन्म तथि, उसके फगिर-प्रटि और आँखों की स्कैनगि तक शामिल है।

वशिव बैंक कर चुका है तारीफ

वशिव बैंक की **वकिस के लयि पहचान** नामक रपौरट में भारत की इस वशिवि पहचान प्रणाली 'आधार' की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि इससे देश में वतिलीय समावेशन में मदद मलिली है तथा भ्रषुटाचार कम हुआ है। इस रपौरट में कहा गया है, "तकनीक परविरतनकारी हो सकती है। भारत की डजिलल पहचान प्रणाली 'आधार' पछिडे वर्ग तक समावेशन पहुँचाने की इच्छाशकत रिलखने वाली सरकार के लयि मददगार हुई है। लाखों गरीब लोगों को एक आधिकारिक पहचान देकर सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ाई जा सकती है।"

वरल्ड बैंक के मुख्य आरथक वशिवषज्ज, पॉल रोमर का कहना है कि अन्य देश भी 'आधार' की तरह के कार्यक्रम को शुरू करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन शोध से पता चला है कि बेहतर यह होगा कि एक **मानक व्यवस्था** वकिसति की जाए, ताकि लोग अपनी आईडी वशिव के किसी भी कोने में ले जा सकें। 'आधार' जैसी कोई व्यवस्था यदा पूरे वशिव में लागू हो जाती है तो बेहतर होगा। वशिव बैंक की इस रपौरट के अनुसार आज दुनयि में 1.5 बलियिन लोग खुद की पहचान साबति नहीं कर सकते, इसीलिये वे शकिलषा, स्वास्थ्य सेवा, वतिलीय सेवा, सामाजिक लाभ, राजनीतिक और कानूनी अधिकार, लैंगिक समानता और वसिथापन से जुड़े अधिकारों से वंचति रह जाते हैं।

(टीम टूटि इनपुट)

वशिव के कुछ अन्य देशों में व्यवस्था

- थाईलैंड में नेशनल आईडी नंबर की सहायता से वहाँ की सरकार ने देशव्यापी स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध कराकर इन सेवाओं के वतिलरण में उल्लेखनीय सुधार किया है।
- पेरू में यूनविरसल पॉपुलेशन और रजसिटरेशन योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं में ज़रूरतमंदों तक राहत और सहायता पहुँचाने के काम में तेज़ी आई है।
- हमारे पड़ोसी देश पाकसितान में बायोमेट्रिक व्यवस्था के बाद महिलाओं तक प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के काम में मदद मलिली है और इससे वे इसे अपनी इच्छानुसार खर्च करने की स्थिति में आई हैं। भारत के एक अन्य पड़ोसी देश चीन में आधार की तरह की नेशनल आईडी जारी करने का काम वहाँ का सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय करता है। नेपाल और श्रीलंका में भी राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी किये जाते हैं। बांग्लादेश में वहाँ का चुनाव आयोग इस प्रकार के पहचान-पत्र जारी करता है। म्यांमार में भी वहाँ का शर्म मंत्रालय नेशनल रजसिटरेशन कार्ड जारी करता है और भूटान में वहाँ का गृह मंत्रालय सटिजिनशिप आईडी कार्ड जारी करता है।

बायोमेट्रिक लॉकगि ससिस्टम

आधार शरेशुठ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और इसके डेटा की अतरिकित सुरक्षा के लिये बायोमेट्रिक लॉकगि ससिस्टम की व्यवस्था की गई है। इसके तहत आधार की जानकारी लीक होने या किसी अन्य व्यक्ति को आपकी आधार संख्या की जानकारी का गलत फायदा उठाने से रोकने की व्यवस्था की जाती है। इस व्यवस्था के माध्यम से जब चाहे आधार जानकारी को लॉक और अनलॉक किया जा सकता है। एक बार जब बायोमेट्रिक डेटा लॉक करने के बाद कोई भी इसका इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि उसे अनलॉक न किया जाए। यह सुविधा केवल ऑनलाइन उपलब्ध है और इसके लिये आधार के साथ रजसिटरड मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है।


डेटा लॉक कैसे करें?

- यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट <https://uidai.gov.in/> पर जाएं।
- आधार ऑनलाइन सर्विस में तीन वकिलप दिखाई देते हैं और इनमें सबसे आखिरी Aadhaar Service में तीसरे नंबर पर Lock/Unlock Biometrics का वकिलप है।
- इस पर क्लिक करें, अब एक नया पेज खुल जाएगा। यहां आधार संख्या और एक सकियोरटि कोड डालना होगा।
- इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करते ही आधार नंबर के साथ रजसिटरड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा।
- इस ओटीपी को डालकर लॉग-इन करें और डेटा लॉक करने के लिये फरि से सकियोरटि कोड डालकर Enable पर क्लिक करें।
- यहाँ क्लिक करते ही Congratulation! Your Biometrics is Locked का संदेश मल्लिगा और आपका आधार डेटा लॉक हो जाएगा।

अनलॉक कैसे करें?

- डेटा अनलॉक करने के लिये उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराते हुए लॉग-इन करें।
- अब Enable और Disable के दो ऑप्शन मल्लिगे। सकियोरटि कोड डालकर Enable पर क्लिक करते ही डेटा अनलॉक हो जाएगा।

(टीम दृष्टि इनपुट)



- रूस में फेडरल माइग्रेशन सर्विस नेशनल आईडी जारी करने का काम करती है।
- जापान में मनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन नागरिकों को 'जूकी' कार्ड जारी करता है।
- इंग्लैंड और अमेरिका में पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को की पहचान के तौर पर मान्यता प्राप्त है। इन देशों में अलग से कोई पहचान-पत्र जारी नहीं किया जाता।
- इन उपरोक्त दोनों देशों सहित अधिकांश विकसित देश अपने सभी नागरिकों को अलग-अलग तरीके से सामाजिक सुरक्षा संख्या जारी करते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है।
- फ्रांस में पेरिस को छोड़कर शेष शहरों में मेयरों या पुलिस थानों द्वारा राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी किये जाते हैं।
- जर्मनी में वहां के शहरों के स्थानीय निकाय नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करते हैं।
- ब्राज़ील में स्टेट और नेशनल पुलिस राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करती है।
- दक्षिण अफ्रीका में वहाँ का गृह मंत्रालय ऐसे पहचान-पत्र जारी करता है।
- नॉर्वे में वहाँ का आयकर विभाग नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान संख्या जारी करता है।
- स्वीडन की नेशनल पुलिस राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करती है।

आधार और नजिता का मुद्दा

कुछ समय पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने 'नजिता के अधिकार' को मौलिक अधिकार मानते हुए अपना फैसला सुनाया था यानी आपकी नजिी जानकारी पर सरकार का कोई हक नहीं होगा। सर्वोच्च अदालत की 9 जजों की बेंच ने इस पर मामले पर एक मत से फैसला सुनाया था।

नजिता के अधिकार का मुद्दा केंद्र सरकार की कई समाज कल्याण योजनाओं का लाभ हासिल करने के लिये 'आधार' को अनिवार्य करने संबंधी केंद्र सरकार के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उठा था।

शुरू में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई की, लेकिन बाद में इस मामले की सुनवाई के लिये पाँच सदस्यीय संवधान पीठ गठित की गई थी, जिसने इस मुद्दे पर फैसला करने के लिये इसे बड़ी नौ सदस्यीय संवधान पीठ को सौंप दिया था, जिसके समक्ष विचारणीय प्रश्न केवल यह था कि क्या नजिता के अधिकार को संवधान के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया जा सकता है?

यह संवधान पीठ पूर्व में छह और आठ सदस्यीय पीठ द्वारा क्रमशः खड़क सहि और एम.पी. शर्मा मामलों में दी गई व्यवस्थाओं के सही होने की विधिना के लिये गठित की गई थी, जनिमें कहा गया था कि नजिता मौलिक अधिकार नहीं है। खड़क सहि प्रकरण में न्यायालय ने 1960 में और एम.पी. शर्मा प्रकरण में 1950 में फैसला सुनाया था।

(टीम ट्विस्ट इनपुट)

सबकी पहुँच में नहीं बायोमेट्रिक डेटा

- यूआईडीएआई के अनुसार आधार संख्या को लेकर किसी भी तरह का डाटा लीक नहीं हुआ है और इसकी सुरक्षा में कोई खामी नहीं है।
- यूआईडीएआई का कहना है कि कुछ लोगों ने विशेष अधिकारियों को दी गई सुविधा का गलत फायदा उठाया है, जिसके ज़रिये किसी की आधार संख्या या नामांकन संख्या खो जाने पर उसकी जानकारी जुटाई जाती है।
- इससे केवल नाम और कुछ अन्य जानकारियाँ हासिल की जा सकती हैं, बायोमेट्रिक जानकारियाँ नहीं।
- इस सुविधा का इस्तेमाल करने वाले लोगों की भी जानकारी रखी जाती है और उनका पता लगाया जा सकता है।
- बायोमेट्रिक डेटाबेस एकदम सुरक्षित है और डेमोग्राफिक जानकारी का इस्तेमाल बायोमेट्रिक के बिना नहीं किया जा सकता।
- यूआईडीएआई यह भी दावा करता है कि उसके पास आधार डेटा से जुड़ी हर गतिविधि की जानकारी रहती है, इसलिये इसका दुरुपयोग करना संभव नहीं है।
- आधार देश का क्रांटिकल इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर है और सरकार इसके संरक्षण और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

आधार अधिनियम 2016

वदिति हो कि आधार योजना को यूपीए सरकार ने पहले बना किसी कानूनी संरक्षण के ही जारी कर दिया था, लेकिन बाद में दिसंबर 2010 में 'आधार' को कानूनी आधार देने के उद्देश्य से एक साधारण विधियक लाया गया था। इसके बाद आधार अधिनियम, 2016 के तहत यूआईडीएआई आधार नामांकन और प्रमाणीकरण सहित इसके सभी चरणों के संचालन और प्रबंधन, व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये नीतियाँ बनाने, व्यक्तियों के प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की पहचान के लिये उत्तरदायी संवधानिक संस्था है। इस आधार अधिनियम में यह सुनिश्चित किया गया है कि व्यक्तियों की बायोमेट्रिक जानकारियाँ सुरक्षित हाथों में रहें, लेकिन नजिी जानकारियों को साझा किये जाने से रोकने के लिये कोई प्रावधान इसमें नहीं है। इस अधिनियम की धारा 8 में जानकारियों को 'थर्ड पार्टी यूज़र' से साझा करने संबंधी प्रावधान है। आरंभ में प्रावधान यह था कि यदि कोई थर्ड पार्टी किसी व्यक्तिके फगिर प्रटि को दिखाते हुए यूआईडीएआई से बस यह पूछ सकती थी कि यह अमुक व्यक्तिके है या नहीं? लेकिन बाद में धारा 8 में व्यापक बदलाव किये गए। अब थर्ड पार्टी यूज़र

संबंधित व्यक्ति के बारे में उसकी पहचान से जुड़ी जानकारियाँ भी मांग सकती है।

(टीम दृष्टि इनपुट)

नबिकर्ष: वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करना तथा उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना भारत में एक बहुत बड़ी समस्या रही है। इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने कई सरकारी और गैर-सरकारी कामों में आधार संख्या को अनिवार्य बना दिया है। अब बैंक खाता खोलने नया मोबाइल समि कार्ड लेने, रसोई गैस सब्सिडी, पेंशन, पासपोर्ट सहित कई सेवाओं के लिये आधार होना ज़रूरी है। ऐसे में यह सहज ही समझा जा सकता है कि यह कतिना महत्त्वपूर्ण है और इसके देता की सुरक्षा करना उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। लेकिन समय-समय पर इससे संबंधित देता के लीक होने की खबरें चर्चा में बनी रहती हैं।

हाल ही में जब आधार डेटा लीक होने की बात सामने आई तो इसे जारी करने वाले यूआईडीएआई ने कहा कि इसकी सुरक्षा में सेंध लगाना नामुमकिन है। बावजूद इसके, जसि तरह से नियमित अंतराल पर आधार डेटा लीक होने या लोगों की गोपनीय जानकारियों के सार्वजनिक होने की खबरें आती रही हैं, उनसे यह संदेह तो गहराता ही है कि आधार डेटाबेस पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। आधार डेटा के पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा करते हुए बेशक यूआईडीएआई ने यह खुलासा करने वाले रपिर्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज़ करा दी है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता पर उठे सवाल अब और गहरे हो गए हैं। ऐसे में जब यह आवश्यक हो जाता है कि 'आधार' को कसि तरह और अधिक सुरक्षित और सशक्त बनाया जा सके, ताकि लोगों की डिजिटल पहचान और उनकी नजिता के अधिकार का हनन न हो।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/aadhar-card-security-related-issues>

